खाकी

क्या देश को ओबीसी युद्ध में धकेला जा रहा है?

विकास नारायण राय

आरक्षण के मुद्दे पर चुनावी राजनीति से प्रेरित मोदी सरकार ने दो सोचे समझे कुटिल कदम उठाये हैं। एक, जाति-आधारित जनगणना न कर, घोर जातिवादी सवर्ण मानसिकता को भुनाने के लिए। और दूसरा, 127वें संविधान संशोधन के माध्यम से, लुप्त होती सरकारी नौकरियों के परिप्रेक्ष्य में ओबीसी बन्दर बाँट पर अनुकूल जातिवादी रंगत चढाने के लिए। हालिया वर्षों में, कानून-व्यवस्था के लिए, इन जैसी कवायदों के निहितार्थ भारतीय समाज कई राज्यों में भुगत चुका है। सबसे अराजक रूप में, 2015 में, हरियाणा के उन्मादी जाट आरक्षण अभियान के रूप में।

जब संवैधानिक आरक्षण का आधार जाति है तो जातिगत मतगणना न कराना सरकारी स्तर पर जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं तो और क्या हुआ? बिना वांछित आंकड़ों के इस क्षेत्र के सही मानक कैसे बनाए जा सकते हैं? लेकिन भाजपाई राजनीति को इसका भी ध्यान रखना होता है कि पार्टी के सवर्ण वोट बैंक की जातिवादी अनुभूतियों को ठेस न पहुंचे।

भारतीय समाज में संवैधानिक आरक्षण की ऐतिहासिक भूमिका स्वत: स्पष्ट है। इस पद्धति ने सवर्ण समुदाय के शताब्दियों से चले आ रहे 'मेरिट' के जातिवादी दंभ को तोड़ दिया, और भारतीय राष्ट्र में दलितों/

पिछड़ों की बहुआयामी भागीदारी को मजबूत किया। लेकिन, साथ ही, एक और इतिहास सिद्ध सूत्र है कि आरक्षण का व्यापक लाभ मजबूत को मिलता है, कमजोर को नहीं। यह शक्ति संतुलन जितना पारंपरिक सवर्ण आरक्षण पर लागू होता रहा था उतना ही संवैधानिक दलित/ओबीसी आरक्षण पर भी। शत-प्रतिशत सामाजिक/आर्थिक/राजनीतिक/शैक्षणिक सवर्ण आरक्षण पद्धति से लेकर, चमार, मीणा, यादव, कुर्मी जैसे वर्चस्वकारी समुदायों की जातिगत आरक्षण में लगभग मोनोपोली, इसी समीकरण की बानगी रही है।

नए ओबीसी संविधान संशोधन बिल से कुछ अन्य वर्चस्वकारी समुदायों जैसे जाट (हरियाणा), मराठा (महाराष्ट्र), पटेल (गुजरात), गूजर (राजस्थान) इत्यादि के लिए भी प्रवेश खिड़की खुल जाएगी। यानी रोजगार के अकाल में नए प्रभावशाली दावेदार! मुर्गियों के दड़बे में नयी लोमड़ियां! सोचिये, बवाल किनके बीच कटेगा, भुगतेगा कौन और तमाशा कौन देखेगा! जब राजनीतिक पार्टियों की अभूतपूर्व संसदीय एकता रोजगार की बंजर जमीन पर 'टुकड़ा फेंको तमाशा देखो' का गृह-युद्ध सिद्ध होगी।

वर्तमान बहस में रोहिणी आयोग की चर्चा नहीं के बराबर हुयी है। केंद्र सरकार ने ओबीसी के उप-श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये बने इस आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया है। आयोग का गठन अक्तूबर 201। में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। उस समय इसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये 12 सप्ताह का समय दिया गया था।

उप-श्रेणीकरण की आवश्यकता इस धारणा से उत्पन्न होती है कि OBC की केंद्रीय सूची में शामिल कुछ ही प्रभावी समुदायों को 27 प्रतिशत आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' ने ओबीसी को अत्यंत पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों जैसी तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने की सिफारिश की थी।

तात्कालिक राजनीतिक बाध्यताओं ने ही मोदी सरकार से आयोग का गठन कराया था और इन्हीं बाध्यताओं ने ही इसके काम को बाधित किया हुआ है। केंद्र सरकार की नौकरियों और विश्वविद्यालय में प्रवेश में विभिन्न ओबीसी समुदायों के प्रतिनिधित्व तथा उन समुदायों की आबादी की तुलना करने के लिये आवश्यक डाटा की उपलब्धता अपर्याप्त है। वर्ष 2021 की जनगणना में ओबीसी से संबंधित डाटा एकत्र करने को लेकर सन्नाटा है।

वर्ष 2018 में, आयोग ने पिछले पाँच वर्ष में ओबीसी कोटा के तहत दी गई केंद्र सरकार की 1.3 लाख नौकरियों का विश्लेषण किया था। साथ ही, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में ओबीसी प्रवेश से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण किया था। आयोग के मुताबिक, ओबीसी के लिये आरक्षित सभी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों की सीटों का 97 प्रतिशत हिस्सा उनकी उप-श्रेणियों के केवल 25 प्रतिशत हिस्से को प्राप्त हुआ। उपरोक्त नौकरियों और सीटों का 24.95 प्रतिशत हिस्सा केवल 10 ओबीसी समुदायों को प्राप्त हुआ। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 983 ओबीसी समुदायों (कुल का 37 प्रतिशत) का प्रतिनिधित्व शून्य है। विभिन्न भर्तियों एवं प्रवेश में 994 ओबीसी उप-जातियों का कुल प्रतिनिधित्व केवल 2.68 प्रतिशत है।

यानी, अगर रोहिणी आयोग को ही राजनीति से नहीं सामाजिक निष्ठा से चलाया जाता तो 127वें संवैधानिक संशोधन के विस्फोटक पाखंड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन, सत्ताधारी की दिलचस्पी रोग में होती है उपाय में नहीं।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

दिल्ली में पुलिस कमिश्नर अस्थाना अपना रंग दिखाने लगे

आदर्श नगर के एसएचओ को निलम्बित करने के विवाद ने तूल पकड़ा

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आदर्श नगर के एसएचओ सी. पी. भारद्वाज को बुधवार को सस्पेंड कर दिया गया। ज़ाहिर है यह आदेश पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की मर्जी के बिना जारी नहीं हो सकता।

वजह यह थी कि एसएचओ भारद्वाज ने विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोगों का एक आदेश मानने से मना कर दिया था।

दरअसल, आज़ादपुर फ्लाईओवर के पास बनी मज़ार हटाने का आदेश इन संगठनों के नेताओं ने दिया था।

एसएचओ भारद्वाज ने उन्हें समझाया कि पुलिस को इसे हटाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए उन्हें अन्य सरकारी एजेंसियों से संपर्क करना होगा। लेकिन वे लोग नहीं माने और मौक़े पर जाकर हंगामा करने लगे। एसएचओ ने किसी तरह उन्हें हटाकर क़ानून व्यवस्था बिगड़ने से बचाया।

इसके बाद इन लोगों ने पुलिस कमिश्नर अस्थाना से 24 घंटे में एसएचओ सीपी भारद्वाज को सस्पेंड करने को कहा। निर्देश का पालन हुआ और बेवजह एक एसएचओ निलम्बित कर दिया गया।

दरअसल, मुख्य मुद्दा मजार था ही नहीं। मुद्दा एक तटस्थ पुलिस अफ़सर को ग़लत तरीक़े और अराजक तत्वों के दबाव पर सस्पेंड करना है।

दिल्ली के तमाम एसएचओ के मुक़ाबले एसएचओ भारद्वाज की छवि ऐसी नहीं थी कि इस बेवक़ूफ़ी वाले मुद्दे पर उन पर कार्रवाई हो।

अब समझ में आ गया कि अस्थाना को दिल्ली में किसलिए लाया गया है। अब समझ में आ गया कि जिन बदमाशों ने दो दिन पहले - मुल्ले काटे जाएँगे - नारा लगाया था, उन्हें वहीं क्यों नहीं रोका गया। जबकि इस आतंकी नारे के विरोध में आये सैकड़ों लोगों को उसी जगह जंतर मंतर से गिरफ्तार कर लिया गया।

एसएचओ भारद्वाज को निलंबित करने की इस घटना से दिल्ली पुलिस के अफ़सरों का मनोबल टूटेगा। दिल्ली पुलिस आख़िर फिर निष्पक्ष होकर किस तरह काम कर सकेंगी। आप लोग बहुत जल्द दिल्ली पुलिस को तमाम तरह के विवादों में उलझा पाएँगे।

आज़ादपुर में मज़ार हटाने की माँग भी यूपी चुनाव के मद्देनज़र नागपुरी संतरों ने की है। सात साल से केंद्र में उनकी सरकार है और केजरीवाल उनकी बी टीम का नेता है, उन्हें ये मज़ार पहले क्यों नज़र नहीं आई? दिल्ली में सांप्रदायिक माहौल इसलिए भी बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से मीडिया कवरेज मिल सके।

यूपी में माहौल गोडसे वंशी अराजक तत्वों के ख़िलाफ़ है। कोरोना के दौरान जिन्होंने अपने प्रियजनों को गंगा में बहाया है, वे इन अराजक तत्वों की तलाश में हैं। जिनके प्रियजनों की मौत ऑक्सिजन न मिलने, बेड न मिलने से हुई है, वे उस दर्द को भूले नहीं हैं। टीवी चैनलों ने भी अपने माई बाप रंगा-बिल्ला से कहा है कि दिल्ली में कुछ होगा तो वो यहीं से यूपी के लिए साम्प्रदायिक माहौल बना देंगे।

न मुल्ले काटे जाएँगे, न वो कुछ चिल्लाएँगे

डॉ. शारिक़ अहमद ख़ान

नफ़रती नारा लगाकर सियासत में अपनी पहचान बना लेने का चलन आजकल ज़ोरों पर है। दिल्ली में 'मुल्ले काटे जाएंगे,राम-राम चिल्लाएंगे' का नारा लगाने वाला भगवा कपड़ा धारी अपने उद्देश्य में सफल हो गया।उसे पहचान मिल गई,यही उसे चाहिए था।ना वो मुसलमानों को काटने जा रहा है ना मुसलमान राम-राम चिल्लाने जा रहे हैं।

उसे भी मालूम है कि वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। भारत के बीस से तीस करोड़ की जनसंख्या वाले मुसलमानों को कौन काट सकता है।सेल्फ़ डिफ़ेंस का हक़ सबको है। मुल्ले मुर्ग़े नहीं हैं कि जब कोई चाहे बीस-तीस करोड़ लोगों को झटका मार देगा और बड़े शौक़ से सब झटका मरवाते रहेंगे। नफ़रती नारा लगाने वाले को ये भी मालूम है कि देश का क़ानून ऐसा नहीं होने देगा कि कोई जेनोसाइड करने लगे। फिर उसने ऐसा नारा क्यों दिया।स्पष्ट है कि सियासत में अपना स्थान बनाने के लिए दिया।

उसके और उसके साथियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर हुई है। जल्द ही वो पकड़ा भी गया। जेल गया। वहाँ बैरक में चबूतरे पर कंबल बिछाकर ताश खेलेगा। जेल में कसरत करेगा और अट्टाहस करेगा। मुलाक़ाती फल -मेवा-मलाई लाएंगे उसे खाएगा।जल्द ही ज़मानत पा जाएगा और मोटा होकर जेल से निकलेगा।

बाहर फूलमाला से उसका स्वागत हो सकता है।वजह कि पहले ऐसे नफ़रती लोगों का स्वागत हो चुका है। फिर उस भगवा शर्ट धारी नफ़रती को कहीं से टिकट मिल सकता है। चुनाव जीत वो जनप्रतिनिधि भी बन सकता है। जबकि जनप्रतिनिधि बनने के लिए कई दलों में लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, अच्छे काम करते हैं,अच्छी बातें बोलते हैं,तब भी उन्हें टिकट नहीं मिलता। कई बार मिलने पर भी हार जाते हैं। वजह कि समाज नफ़रती लोगों को अब पसंद करने लगा है।

उस नफ़रती आदमी ने नफ़रत से भरपूर नारा लगाकर भगवा कपड़े को भी बदनाम किया और राम का नाम भी बदनाम किया। भगवा कपड़ों का मतलब क्या होता है हम बताते हैं।

कल हमारे अस्पताल में कई दिनों से

भर्ती एक मुस्लिम मरीज़ के परिजन हमसे कहने लगे कि बाहर बरामदे में चटाई बिछाकर जो एक भगवाधारी साधु बैठे हैं जिन्होंने योगी जैसा कपड़ा पहन रखा है वो क्या आपके कर्मचारी हैं।ये सुन हमने कहा कि नहीं,उनके मरीज़ का लंबा इलाज चल रहा है,एक्सीडेंट हुआ था,सर्जरी हुई है। वार्ड में मरीज़ के साथ मरीज़ की माँ रहती हैं। लिहाज़ा वहाँ जगह नहीं है और भगवाधारी बरामदे में चटाई बिछाकर रहते हैं। भगवाधारी साधु मरीज़ के दोस्त हैं।

ये सुन मुस्लिम मरीज़ के परिजन कहने लगे कि वही तो,हम सोच रहे थे कि इन साधु महाराज को आपने क्यों कर्मचारी बना लिया। हमें लगा कि ये हेल्प डेस्क पर हैं।हम दस दिनों पहले भी आए थे तो भगवाधारी साधु यहीं थे और आज भी यहीं हैं। दरअसल हमने इनको कर्मचारी इसलिए समझा क्योंकि ये अस्पताल में दौड़-दौड़कर अनजान लोगों की मदद कर रहे थे। हम ऊपर आ रहे थे तो लिफ़्ट बटन दबाने पर नहीं आ रही थी। भगवाधारी साधु कई राउंड सीढ़ी से ऊपर गए और नीचे आए भी सीढ़ी से ऊपर आ गए।

थोड़ी देर बाद देखा तो साधु महाराज लिफ़्ट सही करा रहे थे। हम नीचे आए तो देखा एक नक़ाबपोश महिला को लिखी गई दवा अस्पताल की फ़ार्मेसी से नहीं मिली। उसे फ़ौरन दवा चाहिए थी।उस महिला का मरीज़ भर्ती था। उस वक़्त पानी बरस रहा था। भगवाधारी साधु महाराज बरसते पानी में ही सिर पर हाथ रख दवा लेने बाहर चले गए। आटो से चौक गए,वहाँ से दवा लेकर भीगे हुए आए। फिर आकर कपड़े बदल लिए।भगवाधारी साधु पढ़े-लिखे भी लगते हैं,क्योंकि वो मरीज़ों का अस्पताल का फ़ार्म भी भरते हैं जो अंग्रेज़ी में है। लाइन लगाकर चार मरीज़ उनसे फ़ार्म भरवा रहे थे जिसमें से दो नक़ाब ओढ़े महिलाएं थीं।

मरीज़ के मुस्लिम परिजन ने आगे कहा कि हमने बस सड़क पर चलते-फिरते साधु देखे हैं,कभी इनसे संपर्क नहीं रहा। या फिर टीवी पर नफ़रती नारा लगाते और गांधी के पुलते को गोली मारते भगवाधारी देखे हैं।हमें हैरत हुई कि ये अस्पताल में बैठा भगवाधारी क्यों अनजान मुस्लिम महिला के लिए दवा लेने बारिश में भीगते हुए गया। क्यों दौड़-दौड़कर सबकी मदद कर रहा है। इतना तो कोई अस्पताल का कर्मचारी नहीं दौड़ रहा।सब अपनी जगह बैठे हैं।हम तो समझते थे कि भगवाधारी मुसलमान से नफ़रत करते हैं।

ये सुन हमने कहा कि आपको एक बात और बताते हैं, हमें नर्स ने बताया कि जिस मरीज़ को लेकर भगवाधारी साधु महाराज आए हैं वो उनका कोई ख़ास दोस्त नहीं है। ये मरीज़ किसी गांव में जनरल स्टोर चलाता है। वहीं पास में किसी मठ वग़ैरह से साधु वाबस्ता हैं। मरीज़ के जनरल स्टोर से सामान ख़रीदते हैं। जब मरीज़ का एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ आ गए।मरीज़ के रिश्तेदार एक दिन बाद चले गए,बस मरीज़ की माँ बचीं जो बूढ़ी हैं और ख़ुद लाचार हैं।अब दूसरे लोगों को जाता देख भागदौड़ करने के लिए भगवाधारी साधु महाराज यहीं रूक गए। आपको सुनकर शॉक लगेगा कि जिस मरीज़ के लिए भगवाधारी साधु बरामदे में चटाई बिछाकर पड़े हैं वो मरीज़ मुसलमान है। ये सुन मुस्लिम मरीज़ के परिजन का मुँह खुला का खुला रह गया।कहने लगे कि एक मुसलमान के लिए ये भगवाधारी यहाँ पड़े हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं,हमें हैरत है। अब हमने मुस्लिम मरीज़ के परिजन से कहा कि इसमें हैरत की क्या बात है। हमें तो कोई हैरत नहीं हुई। भगवाधारी साधु यही काम तो करते हैं, ख़ुद कष्ट सह दूसरों की मदद करते हैं,दूसरों के लिए बिना उनकी जाति-धर्म देखे ख़ुद को होम कर देते हैं।ये काम वो सदियों से करते आ रहे हैं। भगवा वस्त्र को बीते कुछ बरसों में उपद्रवियों ने बदनाम कर दिया,वो उपद्रवी ना साधु हैं ना असली भगवाधारी हैं,वो अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए भगवा पहनते हैं और भगवा को बदनाम करते हैं। जैसा 'मुल्ले काटे जाएंगे' का नारा लगाने वाले ने किया।